I/172481/2023

संख्या–1461 /XLI-A/2023–59/2023/E-38699

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
श्रीनगर, गढ़वाल।

तकनीकी शिक्षा विभाग, देहरादून, दिनांक 05 दिसम्बर, 2023

विषयः– **Scheme For Special Assistance to State for Capital Investment 2023-24 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत Construction and upgradation of Automobile Garage for Government Polytechnic Dehradun हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3255/नि0प्रा0शि0/SSA/2023–24 दिनांक 12.07.2023, वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/111469, **दिनांक 31.03.2023 एवं** शासनादेश संख्याः I/147666/2023 **दिनांक 18.08.2023** की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **राजकीय पालीटेक्निक, पित्थूवाला (देहरादून) में ऑटोमोबाइल गैराज के निर्माण एवं उन्नयन कार्य** हेतु कार्यदायी संस्था (**उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम**) द्वारा गठित आंगणन रू. 885.77 लाख की शासन स्तर पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरांत औचित्यपूर्ण पायी गयी **धनराशि/लागत रू. 852.21 लाख (रू. आठ करोड़ बावन लाख इक्कीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए** भारत सरकार द्वारा Scheme For Special Assistance to State for Capital Investment (SASCI) 2023-24 योजनान्तर्गत अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष रू. 3.33 करोड़ (रू. तीन करोड़ तैतीस लाख मात्र) को व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. उपरोक्त धनराशि विषयगत कार्य हेतु Scheme For Special Assistance to State for Capital Investment 2023-24 **Part-1** के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ऋण के सापेक्ष अवमुक्त 2/3 प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की जा रही है।
2. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए वित्त विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 31.03.2023 में दिए गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
3. कार्यों हेतु स्वीकृत आंगणन में सम्मिलित की जा रही जी.एस.टी. देयता में प्राविधानित मदों की धनराशि पर वास्तविक एवं नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय। उक्त मद में व्यय की जाने वाली धनराशि पर भिन्नता हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
4. तकनीकी स्वीकृति जारी करने से पूर्व आगणन के प्रतिवेदन, Site Plan तथा विभिन्न ड्राइंग पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करते हुये प्राविधानों तथा भवनों/संरचनाओं के Layout पर सहमति प्राप्त कर ली जाये तथा पूर्व भवन के निर्माण/डिजाइन में भूकम्परोधी मानकों IS-1893, IS-13920 तथा IS-4326 का प्राविधान किये जाने तथा भवन की संरचनात्मक सुदृढ़ता (Structural satbility) का प्रमाण पत्र किसी मान्यता प्राप्त Structural engineer से प्राप्त किया जाय।

5. कार्यदायी संस्था के साथ एम.ओ.यू. के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008, 571/XXVII(1)/2010 दिनांक 19.10.2010 तथा 426/XXVII(7)/2013 दिनांक 22.02.2013 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसका उत्तरदायित्व

निदेशक का होगा।

6. निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व समस्त ड्राइंग/स्ट्रक्चरल डिजाइन, डी.पी.आर को मान्यता प्राप्त उच्च तकनीकी संस्थान से वैट अवश्य कराया जाय तथा सक्षम तकनीकी स्तर से अनुमोदित कराये जाये। अस्वीकृत ड्राइंग/डिजाइन पर कोई भी कार्य कदापि न कराया जाय।
7. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
8. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
9. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
10. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाए।
12. निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, रोडी, सीमेन्ट, सरिया, स्टक्चरल स्टील, एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री का आई0एस0 कोड के मानकों के अनुसार समय–समय पर NABL Accredited प्रयोगशाला में परीक्षण अवश्य करया जाय।
13. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा एवं कार्यदायी संस्था के द्वारा कार्ययोजना के प्रस्तावित कार्यस्थल का मृदा परीक्षण एवं भू–वैज्ञानिक तथ्यों का भलीभांति संज्ञान ले लिया जाएगा।
14. आगणन में स्टील की मात्रा BBS के स्थान पर प्रतिशत के आधार पर ली गयी है, प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व स्टील की मात्रा की गणन BBS के अनुसार कर ली जाये।
15. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05. 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
16. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से पूर्व बजट या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी।
17. Automobile Workshop/Garage हेतु नवीनतम तकनीक, आधुनिक डिजाइन, उच्च गुणवत्ता एवं स्थापित ब्रांड से प्रमाणित सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
18. कार्य करने में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
19. योजना कियान्वयन में Cost Effectiveness एव Energy efficiency के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
20. परिसर में अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के प्रविधानों का विशेष ध्यान रखा जाय तथा कार्य कराये जाने से पूर्व अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के प्रविधानों को सम्बन्धित विभाग से वैट करा लिया जाय।
21. भवन का कार्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
22. एन.एस.आई. मदों/बाजार की दरों पर आधारित मदों हेतु शासनादेश सं. 50/XVII(7)/2012 दिनांक 12.04.2012, 152/887/मार्गसि0/रा0यो0आ0/2021 दिनांक 04.02.2021 एवं शासनादेश संख्या–103/XVII(7)32/2007TC-1दिनांक 21.07.2022 का अनुपालन सुनिश्चित करते

I/172481/2023

हुए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियामावली–2017 (यथासंशोधित) के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

23. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
24. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान सं0 07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4059–लोक निमार्ण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–800–अन्य भवन–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–05–विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य–53–वृहद्निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3 – यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-1/2012 दिनांक 28.03.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत अलॉटमेंट आई.डी. सं- S23110070025 (संलग्नक) के अन्तर्गत वित्त अनुभाग–1 के कम्प्यूटर जनरेटेड सं. I/170358/2023 दिनांक 21.11.2023 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नकः–यथोपरि।

Signed by Raman Ravinath
Date: 01-12-2023 18:41:45

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या– 1461 /XLI-A/2023–59/2023/E-38699 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड कौलागढ़ देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
5. महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, श्रीनगर, पौड़ी।
7. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–01 एव 03, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Shriprakash Tiwari
Date: 01-12-2023 12:52:23
(श्रीप्रकाश तिवारी)
उप सचिव।

TES-BDGT/SGS/10/2023-XII-A-Technical Education Department

I/170359/2023

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, Finance(S013)

HOD-Director Technical Education(4110)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या -007

आवंटन आई डी-S23110070025
आवंटन पत्र दिनांक-21-NOV-2023

लेखा शीर्षक		
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	80-सामान्य
	800-अन्य भवन	01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
	05-विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य	Voted

4	0	5	9	8	0	8	0	0	0	1	0	5

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	33300000	33300000	0	66600000
योग	33300000	33300000	0	66600000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.3,33,00,000 (Rupees Three Crores Thirty Three Lacs Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

Signed by C Ravi Shankar
Date: 21-11-2023 18:53:50